भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1406
09.02.2026 को उत्तर के लिए

कासरगोड में पर्यावरणीय दबाव एवं तटीय संवेदनशीलता

1406. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केरल के तटीय एवं सीमावर्ती जिले, जिनमें कासरगोड भी शामिल है, जलवायु परिवर्तन, तटीय कटाव तथा हरित आवरण में कमी के कारण बढ़ते पर्यावरणीय दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं;

(ख) क्या अनियंत्रित विकास तथा अवसंरचना के विस्तार के कारण इन क्षेत्रों में पारिस्थितिक जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कासरगोड जिले में जिला-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अथवा जलवायु संवेदनशीलता के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) क्या पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील तटीय जिलों के लिए लक्षित शमन एवं पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ङ) केरल के संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु सहनशीलता तथा सतत विकास को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत "भारतीय तटों के साथ तटीय भेद्यता और अत्यधिक समुद्री स्तरों में अनुमानित परिवर्तन" रिपोर्ट तैयार की है। यह अध्ययन समुद्र-स्तर में संभावित वृद्धि, उसके भारत के तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव तथा उससे संबंधित तटीय संवेदनशीलता मानचित्रों का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है।

देश के तटीय क्षेत्रों, जिनमें केरल भी शामिल है, में अनियंत्रित विकास को रोकने के लिए सरकार वर्ष 1991 से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) अधिसूचना लागू कर रही है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों और समुद्री इलाकों का संरक्षण एवं सुरक्षा करना तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16.10.2024 के पत्र के माध्यम से सीआरज़ेड अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत केरल की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीज़ेडएमपी) को अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास तथा अवसंरचना विस्तार कार्यकलापों को सीआरज़ेड अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) संबद्ध कार्यालय है, ने वर्ष 1990–2022 की अवधि के लिए रिमोट सेंसिंग डाटासेट्स का उपयोग करते हुए केरल के तटीय जिलों, जिनमें कासरगोड भी शामिल है, में तटरेखा परिवर्तनों का अद्यतन आकलन किया है।

केरल सरकार के पर्यावरण विभाग तथा केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के आधार पर, राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी 2.0) के अंतर्गत जिला को विश्लेषण की इकाई मानते हुए, कासरगोड सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-वार संवेदनशीलता आकलन किए गए।

(घ) से (ङ): केरल के तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन क्षमता तथा सतत विकास को सुदृढ़ करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, देश में कटाव के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ़) से ₹1,500 करोड़ तथा कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ़) से ₹1,000 करोड़ के आवंटन की सिफारिश की थी।

ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) के सहयोग से देश के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र के लिए जोखिम रेखा का निर्धारण किया है, जो तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों, जिनमें जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि भी शामिल है, को दर्शाती है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तटीय नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीज़ेडएमओ) में जोखिम

रेखा सम्मिलित की गई है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सीआरज़ेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अनुसार सीज़ेडएमपी में तटरेखा प्रबंधन योजना को सम्मिलित किए जाने हेतु तटीय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

iii. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत पूरे भारतीय तटवर्ती क्षेत्र के लिए तटीय संवेदनशीलता सूचकांक (सीवीआई) विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, आईएनसीओआईएस ने पूरे भारतीय तट के लिए तटीय बहु-आपदा संवेदनशीलता मानचित्रण (एमएचवीएम) भी किया है।

iv. एनसीसीआर तटीय प्रक्रियाओं और तटरेखा प्रबंधन के संबंध में अनुसंधान एवं विकास भी करता है, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील तटरेखाओं की पहचान में सहायता प्रदान करता है, स्थल-विशिष्ट शमन उपायों की सिफारिश करता है, और तटरेखा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) के निर्माण में सहयोग करता है। इन रिपोर्टों के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर, केरल सरकार ने विभिन्न तटीय संरक्षण उपायों को लागू किया है, जिनमें संवेदनशील क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त समुद्र-दीवारों की मरम्मत, मौजूदा तटीय समुद्र-दीवारों का रखरखाव, तटीय संरक्षण कार्यों का कार्यान्वयन, और घरों की सुरक्षा के लिए जियोबैग्स का उपयोग शामिल है।

v. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन क्षमता और सतत विकास को सुदृढ़ करने के लिए केरल राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (वर्ष 2023-2030) को लागू कर रही है।

*****